

**विधान सभा सचिवालय,
मध्यप्रदेश**

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 (कार्तिक 7, 1947)

क्रमांक 22034 / मप्रविस-16 / विधान / 2025 - राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश,
दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद् द्वारा इस
राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भोपाल
में समवेत् होने के लिए आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 27 अक्टूबर, 2025

मंगुभाई पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश."

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

क्रमांक 22035 / मप्रविस-16 / विधान / 2025

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 (कार्तिक 7, 1947)

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित :-

मध्यप्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्य ;

मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव एवं समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, भोपाल;
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव, भोपाल;
समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश;
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;

महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर;
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल;

जिला दण्डाधिकारी, भोपाल;
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश;
पुलिस आयुक्त, भोपाल रेंज;
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क), भोपाल संधारण संभाग-एक, भोपाल;

महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली;
महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली;
भारत के समस्त विधान-मंडलों के प्रमुख सचिव/सचिव;

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001;
सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली; और
सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90 संसद् भवन, नई दिल्ली.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.